

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2013/फाल्गुन 21, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 292

No. 43]

DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2013/PHALGUNA 21, 1934

[N.C.T.D.No. 292

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

खाद्य सुरक्षा विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 12 मार्च, 2013

सं. फा. 7(184)/12/डीओएफएस/10051-10061.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम (1) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पदनाम, पदों की संख्या, पद का वेतनमान, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति, विभागीय पदोन्नति समिति का गठन के संबंध में यहाँ संलग्न अनुसूची में नियमों में संशोधन करते हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग में पदनामित अधिकारियों के पद के भर्ती नियम—

अनुसूची

1.	पदनाम	पदनामित अधिकारी
2.	पदों की संख्या	09 * (2013) * अन्तर कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अलिपिकीय
4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे / वेतनमान	पीबी-2, 9300-34800 रू0 + ग्रेड वेतन 4600रू0
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये आयु सीमा	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिये मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। लेकिन यह असम

